मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 2005-जनवरी 2006 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 2 जनवरी, 2006 (पौष12, 1927)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन उल्लेख

श्री सरदार गुलाब सिह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा के निधन का उल्लेख

2. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेशों को पटल पर रखेंगे :-

(1) मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (क्रमांक 3 सन् 2005) ;तथा

(2) मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2005).

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री, मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 13 सन् 1984) की धारा 22 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-308-2000-दस-3, दिनांक 22 सितम्बर, 2005 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, राज्य मंत्री, खनिज साधन, मध्यप्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम, 2005 (क्रमांक 7 सन् 2005) की धारा 3 एवं 11 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार खनिज साधन विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(1) क्रमांक एफ-19-60-2002-बारह-2, दिनांक 5 अगस्त, 2005; तथा

(2) क्रमांक 19-60-2004-बारह-1, दिनांक 30 सितम्बर, 2005,

पटल पर रखेंगे.

5. राज्यपाल के संदेश

(1) सभा द्वारा यथापारित एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय विधेयक,2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) के संबंध में महामहिम राज्यपाल की ओर से प्राप्त संदेश का पढ़ा जाना तदुपरांत पुनर्विचार के लिये लौटाए गये विधेयक को पटल पर रखा जाना.

(2) सभा द्वारा यथापारित जे.पी. इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 (क्रमांक 37 सन् 2003) के संबंध में महामहिम राज्यपाल की ओर से प्राप्त संदेश का पढ़ा जाना तदुपरांत पुनर्विचार के लिये लौटाए गये विधेयक को पटल पर रखा जाना.

6. जुलाई-अगस्त, 2005 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

7. नियम 267-क के अधीन जुलाई-अगस्त, 2005 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

8. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

9. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री नानाभाऊ मोहोड तथा श्री आरिफ अकील, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के विकासखंड बिछुआ में अतिवृष्टि के कारण कृषकों की फसल नष्ट होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री डॉ. गोविन्द सिंह, उम्मेद सिंह बना, गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, ग्वालियर एवं चंबल क्षेत्र के कृषकों को राजघाट एवं चंबल नहर प्रणाली से सिंचाई हेतु पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

10. वर्ष 2005-06 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, वर्ष 2005-06 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

11. सभापति तालिका की घोषणा

12. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन जिले के :-
(क) ग्राम बेरछा में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले जाने,
(ख) ग्राम बेरछा के पास पुलिया बनाये जाने,
(ग) ग्राम भीकनपुर में विद्युत सब-स्टेशन बनाये जाने, तथा
(घ) ग्राम निपानिया स्थित माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,
(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के :-
(क) लहार वैशपुरा मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(ख) लहार सेवढ़ा मार्ग के अनोंई नाले पर पुल बनाये जाने, तथा
(ग) लहार छतारेपुरा मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(3) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य, राजगढ़ जिले के :-
(क) नेवज नदी पर बने पुल की मरम्मत कराये जाने, तथा
(ख) ग्राम राजगढ़ से किला अमरगढ़ तक, खिलचीपुर से पपडेल भूमरिया तक तथा राजगढ़ से पिपलोदी तक सड़क मार्ग का डामरिकरण एवं मरम्मत कराये जाने,
(4) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य उज्जैन जिले के :-
(क) ग्राम बोलखेड़ा नाऊ में हाई स्कूल खोले जाने,
(ख) ग्राम बासोन में हाई स्कूल खोले जाने,
(ग) ग्राम खेड़ाखजूरिया से कुण्डीखेड़ा तक पक्की सड़क बनाये जाने, तथा
(घ) ग्राम झार्ड़ा से गोगाखेड़ा तक सड़क बनाये जाने,
(5) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम डोल स्थित तालाब का पट्टा निरस्त कराये जाने,
(6) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के :-
(क) ग्राम सिकरोदा में माध्यमिक विद्यालय खोले जाने, तथा
(ख) ग्राम पिपरासा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे,

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री अनूप मिश्रा, जल संसाधन मंत्री, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 23 सन् 2005) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री, मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 24 सन् 2005) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

14. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. (1) प्रदेश में अघोषित विद्युत कटौती एवं विद्युत की दरों में बार-बार वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉ. गोविन्द सिंह, डॉ.आई.एम.पी. वर्मा, श्री रामलखन शर्मा, श्री आरिफ अकील, श्रीमती जमुना देवी, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, पं. हरिचरण तिवारी, श्री सज्जन सिंह वर्मा, तथा श्री सुखदेव पांसे, सदस्यगण चर्चा उठायेंगे.

1 घन्टा 30 मि. (2) प्रदेश में सिंचाई हेतु बांधों से समय पर पानी नहीं छोड़े जाने तथा नहरों की मरम्मत न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री आरिफ अकील तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण चर्चा उठायेंगे.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक: 1 जनवरी, 2006